प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 15.05.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.05.2026 को थाना मुरादनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त जोनी पुत्र कर्म सिंह निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा वादिया की पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात पीड़िता को बरामद किया गया व पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1)/123 बीएनएस व धारा 4(2)/16/17 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

आज दिनांक 15.05.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जोनी पुत्र कर्म सिंह निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–
अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं और पीड़िता एक दूसरे को जानते थे तथा बातचीत करते थे। मैं पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ मैंने गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–
जोनी पुत्र कर्म सिंह निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-
अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है व पूर्व में कॉपीराइट एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
थाना मुरादनगर पुलिस टीम।